मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 17 / 2015
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,92(क)188 आर.टी.ए.

शीर्षक

सूरजमल आत्मज देवा जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

––– वादी

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज पेमा जी जाति लौहार आयु वयस्क
2. नारायणलाल आत्मज पेमा जी जाति लौहार आयु वयस्क
   सर्व निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)
3. कमला पुत्री पेमा जी पत्नी गिरधारी जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी भूणास हाल निवास नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़
4. शांता पुत्री पेमा जी पत्नी गोपाल जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी भूणारा हाल निवास बडौद–आमली तहसील व जिला भीलवाडा
5. रुकमण पुत्री पेमा जी पत्नी देवीलाल जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी भूणास हाल निवास खटूकडा तहसील मावली जिला उदयपुर
6. मु. मोहनी बेवा पेमा जी जाति लौहार आयु वयस्क
7. प्यारा आत्मज हजारी जी जाति लौहार आयु वयस्क
   सर्व निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. कमला पुत्री हजारी जी पत्नी डालू जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी भूणास हाल निवास सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. मु. सोवनी बेवा हजारी जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
10. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) 6–ए–1, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु. गंगापुर

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार जैन, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अरविंद त्रिपाठी, श्री [illegible] रोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दि[illegible] समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया ज[illegible] कि ––––×–––– और इस वाद के खर्चे लेखे ––––×–––– रूपये की राशी आज [illegible] से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×–––– प्रतिशत प्रतिवर्ष [illegible] से ब्याज सहित ––––×–––– द्वारा ––––×–––– को दी जाए।

1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि :—

1. कि राजस्व ग्राम भूणारा तहसील सहाड़ा में स्थित आराजी सं. 1718/2 रकबा 0.1460 हे. भूमि का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के स्थान पर वादी को घोषित किया जाता है। तद्नुसार वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावें।
2. कि राजस्व ग्राम भूणारा तहसील सहाड़ा में स्थित आराजी सं. 1718 रकबा 0.23 हे. में से राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में अवाप्त भूमि का रकबा 0.0624 हे. व 0.0216 हे. कुल रकबा 0.0840 हे. भूमि की मुआवजा राशि का अवार्ड क्रमशः न्यायालय सक्षम प्राधिकारी गंगापुर द्वारा दिनांक 23.08.2014 (क्रमांक—भूमि अवाप्ति/4लेन/2014/प्रतिकर निर्धा0/40) व दिनांक 22.07.2015 (क्रमांक—भूमि अवाप्ति/4लेन/2014/प्रतिकर निर्धा0/26) को प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 को देय होने बावत् जारी किया गया है, लेकिन उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 ने प्रस्तुत राजीनामा में यह अंकित किया है कि दिनांक 23.08.2014 व दिनांक 22.07.2015 की अवार्ड राशि प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के स्थान पर वादी प्राप्त करने का अधिकारी है जिससे उक्त अवार्ड राशि वादी को अदा की जावे।
3. कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक् वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादी को प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 ग्राम भूणारा तहसील सहाड़ा में स्थित आराजी सं. 1718/2 रकबा 0.1460 हे. भूमि के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे, न अन्य से करावे।

उपर्युक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना—अपना वहन करें। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 08.04.2019 को डिक्री के साथ सुरक्षित रखा जावें।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर (भीलवाड़ा)(राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री आज दिनांक 04.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर (भीलवाड़ा)(राज0)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 17 / 2015
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,92(क)188 आर.टी.ए.

शीर्षक

सूरजमल आत्मज देवा जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

——— वादी

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज पेमा जी जाति लौहार आयु वयस्क
2. नारायणलाल आत्मज पेमा जी जाति लौहार आयु वयस्क
   सर्व निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)
3. कमला पुत्री पेमा जी पत्नी गिरधारी जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी भूणास हाल निवास नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़
4. शांता पुत्री पेमा जी पत्नी गोपाल जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी भूणास हाल निवास बडौद–आमली तहसील व जिला भीलवाडा
5. रुकमण पुत्री पेमा जी पत्नी देवीलाल जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी भूणास हाल निवास खटूकडा तहसील मावली जिला उदयपुर
6. मु. मोहनी बेवा पेमा जी जाति लौहार आयु वयस्क
7. प्यारा आत्मज हजारी जी जाति लौहार आयु वयस्क
   सर्व निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. कमला पुत्री हजारी जी पत्नी डालू जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी भूणास हाल निवास सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. मु. सोवनी बेवा हजारी जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
10. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) 6–ए–1, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु. गंगापुर

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीः– [illegible] सुनिल कुमार जैन
[illegible] (प्रति0 –01–09)
अधिवक्ता प्रतिवादी– [illegible] एम0के0 बापना (प्रति0 –10)
[illegible] पेरोकार सरकार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(क) व 188 आर. टी. एक्ट

बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :— 04.08.2020

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने इस न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92(क) व 188 आर.टी. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की सीमा में निम्न पडौसों के मध्य कृषि आराजी स्थित है।

पूर्व में — श्री धन्ना आत्मज केला जी गुर्जर की आराजी,

पश्चिम में — श्री दल्ला जी व रामचन्द्र जी तेली की आराजी,

उत्तर में —वादी के पिता श्री देवा आत्मल सोला जी गुर्जर की आराजी,

दक्षिण में — पडत सरकारी भूमि जहां अभी भीलवाडा से उदयपुर जाने वाला राजमार्ग बना हुआ है।

उपर्युक्त पडौसों के मध्य स्थित कृषि आराजी के खसरा सं. 1718 रकबा 0.23 हे. है, आगे वाद में उक्त आराजी को विवादित आराजी से संबोधित किया जा रहा है। वादी ने उक्त वर्णित पडौसों मध्य कृषि आराजी को तत्कालीन खातेदार पेमा जी लौहार, हीरा आत्मज रामा जी लौहार व वर्तमान खातेदार प्यारा आत्मज हजारी जी लौहार, श्रीमती सोवनी बेवा हजारी जी लौहार सर्व निवासी भूणास से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनां 21.12.1992 से क्रय कर मौके पर उसमें वर्णित आराजी का परमेसिव पजेशन प्राप्त किया तभी से वादी का विगत 22 वर्षों से आधिपत्य निरन्तर, निर्बाध रुप से चला आ रहा है। वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 21.12.1992 में वर्णित पडौसों मध्य स्थित जिस आराजी को क्रय की उसके साबिक नम्बर 83 नहीं होकर साबिक आराजी सं. 1175/1 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा थे अर्थात साबिक आराजी सं. 83 व 1175/1 का रकबा व खातेदार समान होने से त्रुटिवश विक्रय पत्र में आराजी सं. 1175/1 के स्थान पर आराजी सं. 83 का अंकन हो गया जबकि आराजी सं. 83 भूणास से महेन्द्रगढ़ जाने वाले रास्ते पर स्थित होकर वादी का इस आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादी ने विक्रय पत्र में वर्णित पडौसों मध्य स्थित आराजी को इसलिये क्रय की कि उक्त आराजी से सटमा उत्तर दिशा में वादी के पिता देवा जी गुर्जर की आराजियात् स्थित थी, इस प्रकार वादी का विवादित आराजी पर परमेसिव पजेशन विगत 22 वर्षों .से निरन्तर, निर्बाध रुप से चला आ [illegible] प्रतिवादी सं. 10 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया [illegible] राजमार्ग विवादित आराजी सं. 1718 में से गुजरने के कारण उक्त आराजी [illegible] भूमि अवाप्त की गई और उसकी मुआवजा राशि जमाबन्दी अभिलेख में मात्र दर्शित खातेदार प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 होने से उन्हें देय होने बाबत् अवार्ड जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

लेकिन प्रतिवादी सं. 10 व 11 द्वारा अभी तक अवार्ड राशि का भुगतान प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 को नहीं किया गया और न हीं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 मुआवजा राशि प्रतिवादी सं. 10 व 11 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादी ने प्रतिवादी सं. 10 व 11 को अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के स्थान पर वादी को देने व इस संबंध में यथोचित कार्यवाही करने बाबत् दिनांक 16.02.2015 को कहा व साथ ही विवादित आराजी का शेष रकवा 0.1676 हे. भूमि वादी के नाम विक्रय पत्र में वर्णित पडौसों मध्य स्थित होने से राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज अभिलेख करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी सं. 11 व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 इन्कार हो गये जिससे वादी को न्यायालय आपसे यह घोषणा कराया जाना आवश्यक हो गया कि वादी विवादित आराजी में से अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि अवार्ड प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के स्थान पर वादी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा विवादित आराजी का शेष बचा रकवा 0.1676 हे. का वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 अवाप्त भूमि बाबत् मुआवजा राशि प्रतिवादी सं. 10 व 11 से प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयास कर रहे हैं व विवादित आराजी के शेष रकबे 0.1676 हे. पर से वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा होते हुए उसे रहन, बय, बक्षिश करने पर आमादा है इस कारण प्रतिवादी सं. 10 व 11 के साथ–साथ प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान प्रतिवादी सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 को नहीं करे व विवादित आराजी के शेष रकबे 0.1676 हे. पर वादी द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, न अन्य से करावें तथा विवादित आराजी के शेष रकबे 0.1676 हे. को प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 किसी अन्य को रहन, बय, बक्षिश या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे।

वादी ने इस प्रकरण में नकल जमाबन्दी ग्राम भूणास संवत् 2071 से 2074 के खाता सं. 457 की प्रमाणित प्रति, नकल नक्शा ट्रेस मौजा भूणास की प्रमाणित प्रति, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति, नकल मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी ग्राम भूणास संवत् 2071 से 2074 के खाता सं. 177 की प्रमाणित प्रति, अवार्ड नोटिस दिनांक 17.11.2014 की प्रमाणित प्रति, अवार्ड दिनांक 23.08.2014 की प्रमाणित प्रति, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम भूणास संवत् 2054 की प्रमाणित प्रति, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम भूणास संवत् 2046 से 2049 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी ग्राम भूणास संवत् 2071 से 2074 खाता सं. 457 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षैत्रफल आराजी सं. 1778 की प्रमाणित प्रति, अवार्ड व आदेश दिनांक 22.7.15 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी संवत् 2046 से 2049 साबिक आराजी सं. 83 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी संवत् 2046 से 2049 साबिक आराजी सं. 1175/1 की प्रमाणित प्रति, पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण दिनांक 27.03.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06 की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह चुण्डावत ने अधिकार पत्र पेश किया लेकिन प्रतिवादी सं. 01 लगायत 06 की ओर से इस प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी सं. 07 लगायत 09 की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द त्रिपाठी ने अधिकार पत्र पेश करते हुए दिनांक 28.03.2016 को इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 10 की और से अधिवक्ता श्री दिनेश बापना ने अधिकार पत्र पेश प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 11 परोकार सरकार स्वयं उपस्थित।

वादी ने इस प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा.दी. मय शपथ-पत्र पेश किया तत्पश्चात् वादी के अधिवक्ता ने इस प्रकरण में संशोधित वाद पत्र दिनांक 08.04.2019 को पेश किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा.दी. को न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 25.06.2019 को खारिज कर दिया गया जिसके विरुद्ध वादी ने राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान में निगरानी याचिका पेश की। वादी की उक्त याचिका को राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान द्वारा दिनांक 16.03.2020 को स्वीकार फरमाते हुए वादी द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जा.दी. को स्वीकार किये जाने बाबत् निर्णय पारित किया गया।

प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 की और से इस प्रकरण में अधिवक्ता श्री अरविन्द त्रिपाठी ने दिनांक 08.04.2019 को अधिकार पत्र प्रस्तुत किया।

वादी ने इस प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2020 को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 जा.दी. को स्वीकार फरमाया गया है जिससे इस प्रकरण में संशोधित वाद पत्र दिनांक 8.4.2019 को अभिलेख पर लिया जावे। वादी की उक्त प्रार्थना न्यायसंगत होने से संशोधित वाद पत्र दिनांक 08.04.2019 को अभिलेख पर लिया गया। वादी ने तत्पश्चात् यह निवेदन किया कि इस प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 ने समझौता/राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 जा.दी. के तहत् दिनांक 08.04.2019 को प्रस्तुत कर दिया है तथा राजीनामा के साथ पक्षकारांन् के आधारकार्ड की छायाप्रतियां भी प्रस्तुत की है। पक्षकारांन् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा कासे तस्दीक किया जाना शेष है। वादी की इस प्रार्थना पर उक्त प्रकरण राजीनामा तस्दीक बाबत् [illegible] प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 की उपस्थिति हेतु दिनांक 04.08.2020 नि[illegible] की [illegible]ई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 दिनांक 04.08.2020 [illegible] उपस्थित आये जिनके हस्ताक्षर/अंगुस्त निशानी आदेशिका पर क[illegible]ये गये। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार जैन व प्रतिवादी सं. 01 ल[illegible]यत 09 की पहचान अधिवक्ता श्री अरविन्द त्रिपाठी ने की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर 17 / 2015
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,92(क)188 आर.टी.ए.

वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 ने इस प्रकरण में यह राजीनामा प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी सं. 1718 रकबा 0.23 हे. में से 0.0624 हे. व 0.0216 हे. भूमि प्रतिवादी सं. 10 ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु अवाप्त कर ली है। उक्त आराजी का शेष रकबा 0.1460 हे. भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है जिसके नवीन नम्बर 1718/2 कायम हुए हैं। वादी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 21.12.1992 जो प्रतिवादी व इनके पूर्वजों द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया, में अंकित पडौसों मध्य आराजी सं. 1718 रकबा 0.23 हे. होने से मौके पर वादी काबिजकाश्त चला आ रहा है।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के मध्य उक्त प्रकरण वाद में निम्न प्रकार से राजीनामा हो गया है जो इस प्रकार है :–

1. विवादित आराजी सं. 1718 रकबा 0.23 हे. में से अवाप्तसुदा रकबे को छोडते हुए शेष बची भूमि 0.1460 हे. जिसके नवीन नम्बर 1718/2 कायम हुए हैं का खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में वादी को अभिलिखित किये जाने में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 को कोई आपत्ति व ऐतराज नहीं हैं क्योंकि उक्त भूमि पर वादी का सन् 1992 से कब्जाकाश्त चला आ रहा है।
2. वादी को विवादित आराजी सं. 1718 रकबा 0.23 हे. में से अवाप्त भूमि का रकबा 0.0624 हे. व 0.0216 हे. भूमि की मुआवजा राशि जिनके अवार्ड क्रमशः न्यायालय सक्षम प्राधिकारी महोदय, गंगापुर द्वारा दिनांक 23.08.2014 व दिनांक 22.07.2015 को जारी किये गये हैं, की मुआवजा राशि प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के स्थान पर वादी सक्षम प्राधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी होगा जिसमें प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 को कोई आपत्ति व ऐतराज नहीं है।
3. कि उक्त वर्णित अवाप्त सुदा भूमि के संबंध में यदि भविष्य में कोई मुआवजा राशि और स्वीकृत होती है तो उस स्थिति में उक्त राशि प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के स्थान पर वादी प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

अतः उक्त प्रकरण में उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 इस प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक हेतु न्यायालय में दिनांक 04.08.2020 को उपस्थित आये जिनको प्रस्तुत राजीनामा की प्रत्येक इकरार को पढ़कर सुनाया गया, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 ने प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित तथ्यों से सहमत होना व्यक्त किया, जिस पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

5.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

आदेश

वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

1. कि राजस्व ग्राम भूणास तहसील सहाडा में स्थित आराजी सं. 1718/2 रकबा 0.1460 हे. भूमि का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के स्थान पर वादी को घोषित किया जाता है। तद्नुसार वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावें।
2. कि राजस्व ग्राम भूणास तहसील सहाडा में स्थित आराजी सं. 1718 रकबा 0.23 हे. में से राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में अवाप्त भूमि का रकबा 0.0624 हे. व 0.0216 हे. कुल रकबा 0.0840 हे. भूमि की मुआवजा राशि का अवार्ड क्रमशः न्यायालय सक्षम प्राधिकारी गंगापुर द्वारा दिनांक 23.08.2014 (क्रमांक–भूमि अवाप्ति/4लेन/2014/प्रतिकर निर्धा0/40) व दिनांक 22.07.2015 (क्रमांक–भूमि अवाप्ति/4लेन/2014/प्रतिकर निर्धा0/26) को प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 को देय होने बावत् जारी किया गया है, लेकिन उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 ने प्रस्तुत राजीनामा में यह अंकित किया है कि दिनांक 23.08.2014 व दिनांक 22.07.2015 की अवार्ड राशि प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 के स्थान पर वादी प्राप्त करने का अधिकारी है जिससे उक्त अवार्ड राशि वादी को अदा की जावे।
3. कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक् वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादी को प्रतिवादी सं. 01 लगायत 09 ग्राम भूणास तहसील सहाडा में स्थित आराजी सं. 1718/2 रकबा 0.1460 हे. भूमि के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे, न अन्य से करावे।

उपर्युक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना–अपना वहन करें। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 08.04.2019 को डिक्री के साथ सुरक्षित रखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Scanned with CamScanner